US-99
04-01-2022

अत्यंत महत्वपूर्ण / विधानसभा
विशेष पत्र वाहक / ई–मेल द्वारा

शहरी विकास विभाग
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार
9वॉ तल, सी – विंग दिल्ली सचिवालय,
आई. पी इस्टेट,नई दिल्ली–110002.

एफ.53(17) / अता. / ~~ता.प्र.स.~~ 99 / द्वि.सत्र का चतुर्थ भाग–2022 / दिविस / श.वि. / 1390-92 दिनांकः 01-01-2022

सेवा में,

उप सचिव (प्रश्न शाखा),
दिल्ली विधानसभा सचिवालय,
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार,
पुराना सचिवालय, दिल्ली –110054.

विषयः–दिल्ली सातवीं विधानसभा के द्वि.सत्र का चतुर्थ भाग ~~तारांकित~~ / अतारांकित प्र. स. 99 मान्नीय विधायक श्री भूपेन्द्र ...... दिनांक 04.01.2022 को

सदन की बैठक के सन्दर्भ में ।

महोदया / महोदय,

आपको उपरोक्त विषय में उद्धत विधानसभा प्रश्न के उत्तर की 100 प्रतियॉ, मान्नीय मंत्री शहरी विकास विभाग, दिल्ली सरकार द्वारा अनुमोदित अग्रित कार्यवाही हेतु इस पत्र के साथ भेजी जा रही हैं।

संलग्न :– उपरोक्तानुसार

भवदीय,

उप–सचिव (संसदीय शाखा)

प्रतिलिपि सूचनार्थ प्रेषित :–

1. निजी सचिव, मान्नीय मंत्री शहरी विकास (दिल्ली सरकार) 7वां तल 'ए' विंग, दिल्ली सचिवालय नई दिल्ली ।
2. निदेशक, सूचना एवं प्रचार निदेशालय, पुराना सचिवालय, दिल्ली को प्रश्न के उत्तर की 100 प्रतियों सहित ।

उप–सचिव (संसदीय शाखा)

Scanned by TapScanner

शहरी विकास विभाग
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र: दिल्ली सरकार
9वां तल, सी–विंग, दिल्ली सचिवालय, इन्द्रप्रस्थ एस्टेट, नई दिल्ली

विधायक का नाम : श्री भूपिंदर सिंह जून

दिनांक : 04.01.2022

विधानसभा अतारांकित प्रश्न संख्या : 99

क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :–

क्र. सं.	प्रश्न	उत्तर
क	दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा जिन व्यक्तियों की भूमि का अधिग्रहण किया गया था ऐसे पात्र व्यक्तियों को वैकल्पिक भूखंड आवंटित करने संबंधी आवेदन दिल्ली विकास प्राधिकरण को अग्रेषित करने का कोई प्रस्ताव क्या शहरी विकास विभाग के पास लंबित है;	यह प्रश्न डीडीए से संबंधित है। दिल्ली विकास प्राधिकरण को प्रश्न भेजा गया था, परन्तु दिल्ली विकास प्राधिकरण ने अपने पत्र सं. एफ.5 (3)/मिस./2015/पी एंड सी/ वीएस/769 दिनांक 2 अगस्त, 2018, को सूचित किया है कि– दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, विधान सभा की प्रकिया तथा कार्य संचालन के नियम 29 के साथ पठित अनुच्छेद 239 ए ए (3) और (4) में निहित प्रावधानों को देखते हुए विधान सभा के स्पीकर वैधानिक रूप से किसी आरक्षित विषय पर कोई प्रश्न स्वीकार नहीं कर सकते। इसके अतिरिक्त यह भी बताया जाता है कि यदि दि.वि.प्रा. के सम्बन्ध में सभा द्वारा उठाये गये प्रश्नों के उत्तर अपेक्षित हैं, तो उन्हें आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय, भारत सरकार के माध्यम से भेजा जाना चाहिए, क्योंकि दिल्ली विकास प्राधिकरण केन्द्र सरकार के नियंत्रण में कार्य करता है। (प्रतिलिपि संलग्न है) भूमि एवं सम्पदा से प्राप्त जानकारी का विवरण अनुलग्नक 'क' पर संलग्न है ।
ख	यदि नहीं, तो ऐसे आवेदनों को अग्रेषित न करने का क्या कारण है; और	
ग	क्या वैकल्पिक भूखंड आवंटित न किए जाने के संबंध में शहरी विकास विभाग माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्णय 'डीडीए बनाम जय सिंह कँवर व अन्य'(सिविल अपील संख्या 8290/2010) की ग़लत व्याख्या कर रही है?	

Dy. Secretary (U.D./P.C.)
Govt. of N.C.T. of Delhi
Delhi Secretariat
I.P. Estate, New Delhi-02

Most Urgent

98(22) 139/C

GOVERNMENT OF NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI
(DEPARTMENT OF LAW, JUSTICE & LEGISLATIVE AFFAIRS)
8th LEVEL, C-WING, DELHI SECRETARIAT, NEW DELHI.

F.No. 18(11)/LA-2018 / 1720-1769

Dated: 19.03.2018

The Secretary,
Delhi Legislative Assembly,
Govt. of NCT of Delhi
Old Secretariat, Delhi

Sub: U.O. No. 2(3)/17-RN/379/A-1990 dated 19.03.2018 received from Joint Secretary to Hon'ble Lt. Governor.

Sir,

Please find enclosed herewith the copy of above mentioned UO received from Joint Secretary to Hon'ble Lt. Governor informing that on the issue of questions being raised in Legislative Assembly of Delhi on matters related to 'Reserved Subjects', the following advice of Department of Legal Affairs, Government of India has been received through the Ministry of Home Affairs, Government of India.

"As per Article 239AA (3)(a) of the constitution, the Legislative Assembly shall have power to make laws with respect to any of the matters enumerated in the State List, or in the Concurrent List except matters with respect to Entries 1, 2 and 18 of the State List and Entries 64, 65 and 66 of that List in so far as they related to the said Entries 1,2 and 18.

Further as per Article 239AA(4), the responsibility of Council of Ministers of NCT of Delhi to aid and advice to Lt. Governor is restricted to matter only on which the Legislative Assembly has power to make rule. Thus on reserved subject (i.e., subject mentioned in Entry 1, 2 and 18, the State Government has no power either to make law or take an executive action.

Rule 29 of Procedure and Conduct of Business of the Legislative Assembly of National Capital Territory of Delhi states that the subject matter of Questions must relate to a matter of administration for which the Government is responsible. Its purpose shall be to elicit information or to give suggestion of action on a matter of public importance.

In view of the provision contained in Article 239AA(3) and (4) read with Rule 29 of the Procedure and Conduct of Business of Legislative Assembly of National Capital Territory of Delhi, legally the Speaker of the Legislative Assembly cannot admit any Question on any Reserved Subject."

The above legal position may kindly be brought to the notice of Hon'ble Speaker, Legislative Assembly, Delhi for kind information as requested in the aforesaid U.O.

A copy of the same is also being endorsed to all the Hon'ble Ministers and Departments for information and further necessary action.

(Anoop Kumar Mendiratta)
Pr. Secretary (Law, Justice & LA)
Government of National Capital Territory of Delhi

Encl: As above.

F.No. 18(11)/LA-2018

Dated: 19.03.2018

Copy forwarded to the following for information and further necessary action:-

1. Joint Secretary to Hon'ble Lt. Governor for information.
2. Pr. Secretary to Hon'ble Chief Minister, Delhi.
3. Secretaries to all the Hon'ble Ministers of Government of NCT of Delhi.
4. Staff Officer to Chief Secretary for information.
5. All the Pr. Secretaries/Secretaries/Heads of Departments of GNCTD.
6. Website of Law, Justice & LA Department.

(Anoop Kumar Mendiratta)
Pr. Secretary (Law, Justice & LA)
Government of National Capital Territory of Delhi

97 [illegible] 185/C U/C

राज निवास
दिल्ली-110054
RAJ NIWAS
DELHI-110054

सत्यमेव जयते

MOST URGENT

On the issue of questions being raised in Legislative Assembly of Delhi on matters related to 'Reserved Subjects', the following advice of Department of Legal Affairs, Government of India has been received through the Ministry of Home Affairs, Government of India:

As per Article 239AA(3)(a) of the constitution, the Legislative Assembly shall have power to make laws with respect to any of the matters enumerated in the State List or in the Concurrent List except matters with respect to Entries 1, 2 and 18 of the State List and Entries 64, 65 and 66 of that List in so far as they related to the said Entries 1, 2 and 18

Further as per Article 239AA(4), the responsibility of Council of Ministers of NCT of Delhi to aid and advice to Lt. Governor is restricted to matter only on which the Legislative Assembly has power to make rule. Thus on reserved subject i.e. subject mentioned in Entry 1, 2 & 18, the State Government has no power either to make law or take an executive action.

Rule 29 of Procedure and Conduct of Business of the Legislative Assembly of National Capital Territory of Delhi states that the subject matter of Questions must relate to a matter of administration for which the Government is responsible. Its purpose shall be to elicit information or to give suggestion of action on a matter of public importance.

In view of the provision contained in Article 239AA (3) and (4) read with Rule 29 of the Procedure and Conduct of Business of the Legislative Assembly of National Capital Territory of Delhi, legally the Speaker of the Legislative Assembly cannot admit any Question on any Reserved Subject.'

The above legal position may kindly be brought to the notice of Secretary of Legislative Assembly, Delhi for kind information of Hon'ble Speaker, Legislative Assembly, Delhi and departments concerned for necessary action.

(Ravi Dhawan)
Jt. Secretary to Lt. Governor

Pr. Secretary (Law, Justice & Legislative Affairs), GNCTD

U.O. No. 2C32/19-KA1347/11-1410 Date- 19/03/2018

Copy for kind information and necessary action to:

1. Chief Secretary, Delhi.
2. Secretary to Minister (Law, Justice & Legislative Affairs), GNCTD

(Ravi Dhawan)
Jt. Secretary to Lt. Governor

175

दिल्ली विकास प्राधिकरण
(आयुक्त एवं सचिव कार्यालय)
ब्लॉक–बी, विकास सदन, आई.एन.ए., नई दिल्ली–110023

सं. एफ.5(3)/मिस./2015/पी एंड सी/सीएस/769 दिनांक 2 अगस्त, 2018

Main letter in English Language was already been sent by Hon Min DO. May place in the concern file. 10/8/18

श्री संदीप मिश्रा,
विशेष सचिव (संसद अनुभाग),
शहरी विकास विभाग, रा.रा. क्षेत्र दिल्ली सरकार,
9वां तल, सी–विंग, दिल्ली सचिवालय,
आई.पी. एस्टेट, नई दिल्ली–110002

DS-PC

विषय : छठी दिल्ली विधानसभा के 7वें सत्र के दूसरे भाग में दिनांक 07/06/2018 को उठाए गए अतारांकित प्रश्न के संबंध में।

उपर्युक्त विषय के संबंध में दिनांक 09/07/2018 के आपके पत्र सं. एफ 53 (यू.एस.क्यू.)/बजट सेशन–सैकंड–जून–2018/दिल्ली असेंबली/यू.डी./डी 7175 7176 का अवलोकन करें, जिसकी संदर्भ सं. एफ.यू.एस.क्यू./बजट सेशन II जून 2018/दिल्ली असेंबली/यू.डी./डी–6983–43(यू.एस.क्यू.–80), 6925 34 (यू.एस.क्यू. 78), 6977 80(यू.एस.क्यू. 89) तथा 6901 6904 (यू.एस.क्यू. 70) दिनांक 29/05/2018 तथा अनुपूरक फर्द डी 7066 से 7068 दिनांक 13/06/2018 है, जिसके द्वारा संदर्भित विषय पर उत्तर तैयार करने के लिए विभाग की उपयुक्त सामग्री प्रेषित करने के लिए कहा गया था।

इस संबंध में, यह बताया जाता है कि संविधान के अनुच्छेद 239 ए ए (3) (क) के अनुसार विधानसभा के पास राज्य सूची अथवा समवर्ती सूची में आने वाले किसी भी मामले के संबंध में कानून बनाने की शक्ति है, केवल उन मामलों को छोड़कर जो राज्य सूची की प्रविष्टि 1, 2 तथा 18 से संबंधित हैं तथा सूची की प्रविष्टि 64, 65 तथा 66 से कुछ हद तक संबंधित हैं क्योंकि ये उक्त प्रविष्टि 1, 2 तथा 18 से संबंधित हैं। अतः आरक्षित विषयों अर्थात् प्रविष्टि 1, 2 तथा 18 में उल्लिखित विषयों पर राज्य सरकार के पास न तो कानून बनाने की शक्तियां हैं और न ही कार्यकारी कार्रवाई करने की शक्तियां। इसके अतिरिक्त, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की विधानसभा की प्रक्रिया एवं कार्य संचालन के नियम 29 में यह वर्णित है कि प्रश्नों की विषय सामग्री प्रशासन के मामलों से संबंधित होनी चाहिए, जिसके लिए सरकार उत्तरदायी है।

अतः दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन के नियम 29 के साथ पठित अनुच्छेद 239 ए ए (3) और (4) में निहित प्रावधानों को देखते हुए, विधान सभा के स्पीकर वैधानिक रूप से किसी आरक्षित विषय पर कोई प्रश्न स्वीकार नहीं कर सकते। इसके अतिरिक्त यह भी बताया जाता है कि यदि दि.वि.प्रा. के संबंध में सभा द्वारा उठाए गए प्रश्नों के उत्तर अपेक्षित हैं, तो उन्हें आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय, भारत सरकार के माध्यम से भेजा जाना चाहिए क्योंकि दि.वि.प्रा. केन्द्र सरकार के नियंत्रण में कार्य करता है।

तथापि, रा.रा. क्षेत्र दिल्ली सरकार के विकास कार्य और सार्वजनिक कल्याण में दि.वि.प्रा. की भूमिका से संबंधित मामलों के संबंध में दि.वि.प्रा. रा.रा. क्षेत्र दिल्ली सरकार से प्राप्त पत्राचार के उत्तर देना जारी रखेगा।

यह सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से जारी किया जाता है।

(डी. सरकार)
आयुक्त एवं सचिव